भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2883
बुधवार, 26 मार्च, 2025 (5 चैत्र, 1947, (शक)) को उत्तरार्थ

पीएसीएस का कार्यकरण

2883 श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए, शामिल न की गई पंचायतों/गांवों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां (पीएसीएस), डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है;
(ख) क्या उक्त पहल, पीएसीएस को कृषि उपज के भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन जैसे संबद्ध क्षेत्रों से जुड़कर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम बनाएगी;
(ग) क्या पीएसीएस आदान आपूर्ति, डेयरी प्रसंस्करण, मात्स्यिकी प्रचालन और मूल्य वर्धित सेवाओं जैसी व्यावसायिक गतिविधियों में विस्तृत होंगी;
(घ) क्या यह सच है कि किसानों को आसानी से ऋण प्राप्त करने, बाजारों तक बेहतर पहुंच और उनकी उपज के लिए उच्चतर मूल्य मिलने से लाभ प्राप्त होगा; और
(ङ) क्या पीएसीएस, विविध सेवाएँ प्रदान कर और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देकर आय में वृद्धि करेगा?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): जी हाँ मान्यवर। सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को सघन करने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है । इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) और राज्य सरकारों के सहयोग से डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), इत्यादि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं को अभिसृत कर पांच वर्षों में देश के सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करते हुए 2 लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (M-PACS), डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना करना शामिल है ।

इसके अतिरिक्त, सभी हितधारकों को एक साथ लाने और इस अभ्यास में शामिल प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के समन्वय से दिनांक 19.9.2024 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) शुरू की है, जिसमें संबंधित हितधारकों के लिए लक्ष्य और समयसीमा का संकेत दिया गया है। मार्गदर्शिका के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जिला स्तर पर जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) की एक उप-समिति- संयुक्त कार्य समिति (JWC) का गठन किया है, ताकि जमीनी स्तर पर योजना का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके ।

(ख) से (ङ): पैक्स की व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए, सरकार द्वारा सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां परिचालित की गई, जो उन्हें डेयरी, मात्स्यिकी प्रचालनों, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना, प्रसंस्करण, कृषि उपज का विपणन, कस्टम हायरिंग केंद्र, कॉमन सेवा केन्द्रों (CSCs), उचित मूल्य की दुकानें (FPS), सामुदायिक सिंचाई, आदि सहित 25 से अधिक आर्थिक कार्यकलापों को करने में सक्षम बनाते हैं । अभी तक, 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आदर्श उपविधियां अपनाया ली गई है या उनकी मौजूदा उपविधियां आदर्श उपविधियों के अनुरूप हैं ।

बहुउद्देशीय पैक्स के रूप में नए पैक्स का पंजीकरण उन्हें और उनके किसान सदस्यों को अपने व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाने, बाजारों और ऋण तक उनकी पहुंच का विस्तार करने और अपने लिए राजस्व के अतिरिक्त स्रोत उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है ।

*****